न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 84 / 2025(GCMS 2025/394)
(RTI No. 212343227252563)

श्री विजय सिंह गांव ठेठार तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 63771—53522)

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.12.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विजय सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.08.2025 से तहत उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार समय पर सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण, अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील पेश कर, लोक सूचना अधिकारी /सहायक लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि विजय सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.08.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. गांव ठेठार, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर की कुल ओरण भूमि कितनी है? कृपया खसरा नम्बर सहित विवरण दें।
2. उक्त गांव की जोहडपायतन की जमीन कितनी है? कृपया खसरा नम्बर सहित विवरण दें।
3. वर्तमान में उक्त भूमि की स्थिति क्या है? (खाली, उपयोग में अतिक्रमणग्रस्त)
4. पिछले 10 वर्षो में इन भूमि पर कोई अतिक्रमण या अवैध कब्जा दर्ज हुआ है? यदि हाँ, तो उसकी रिपोर्ट की प्रति
5. क्या .. भूमि पर किसी प्रकार का पट्टा/हस्तांतरण/लीज दी गई है? यदि हां तो उसकी प्रमाणित प्रति दें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:51:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 84 / 2025
(GCMS No. 2025/394)
(RTI No. :212343227252563)

6. यदि इन भूमि से संबंधित कोई आदेश/कार्यवाही हुई है तो उसकी प्रति उपलब्ध करवाएँ। समय सीमा पिछले 10 वर्षों की जानकारी उपलब्ध करवाएँ।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2025/643/4892 दिनांक 03.11.2025 से अपील का जवाब प्रेषित किया है कि उनके द्वारा अपने पत्र क्रमांक 4891 दिनांक 03.11.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना मुताबिक रिपोर्ट पटवारी रोही ठेठार ने ओरण भूमि दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। खसरा संख्या 17 में 0.380 है. खसरा संख्या 48 में 25.616है, , खसरा संख्या 16 में 0.139 है., खसारा संख्या 46 में 0.241 है. भूमि गैर मुमकिन जोहड़ पायतन के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई काबिज नहीं है। विगत 10 वर्षो से उक्त भूमि पर कोई काबिज नहीं है। उक्त भूमि का पट्टा/हस्तानान्तरण/लीज जारी नहीं की गयी है, सूचना प्रेषित है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों की प्रस्तुत करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने** अथवा करने के आदेश/निर्देश **नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:51:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 84 / 2025
(GCMS No. 2025/394)
(RTI No. :212343227252563)

विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के** लिए **प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की** कोई गुंजाईश **नही है।** इसलिए **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ द्वारा अपीलार्थी को निश्चित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए आपको आदेशित किया जाता है कि आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थीगण द्वारा वांछित सूचना उन्हें निर्धारित समय में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:51:32 IST
Reason: SelfAttested